



थाना लोहामण्डी जनपद आगरा।

थाना लोहामण्डी पुलिस टीम द्वारा वाहन चोरी करने वाला अभियुक्त किया गया गिरफ्तार, कब्जे व निशानदेही से चोरी की 02 स्कूटी की गयी बरामद...

दिनांक 03.07.2021 को वादी पप्पू हलवाई पुत्र स्व० पन्चाराम नि० दीवान का मौहल्ला नई आबादी के०डी० स्कूल के पास थाना ताजगंज जनपद आगरा द्वारा थाना लोहामण्डी पर तहरीर दी गयी कि दिनांक 02.07.2021 को मैंने अपनी स्कूटी यूपी 80 ईई 9766 अग्रसैन सेवा सदन सिर की मण्डी में खड़ी की थी। जब मैं वापस आया तो देखा किसी अज्ञात चोर ने मेरी स्कूटी को चोरी कर लिया था। इस सम्बन्ध में थाना लोहामण्डी पर मु०अ०सं० 97/21 धारा 379 भादवि पंजीकृत किया गया था।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आगरा द्वारा दिये गये आदेशानुसार जनपद में अवैध शराब, जुआ, सट्टा, वाहन चोरी आदि आपराधिक अपराधों पर अंकुश लगाने हेतु पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन में, क्षेत्राधिकारी लोहामण्डी के सफल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी लोहामण्डी को टीम गठित कर आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।

इसी क्रम में दिनांक 03.07.2021 को गठित पुलिस टीम द्वारा थाना क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्ति/वाहन हेतु चैकिंग की जा रही थी। चैकिंग के दौरान मुखबिर खास द्वारा सूचना दी गयी कि थाना पर पंजीकृत अभियोग में स्कूटी चोरी करने वाला अभियुक्त इस समय तोता का ताल पर खड़ा हुआ है। यदि जल्दी की जाये तो गिरफ्तार किया जा सकता है।

पुलिस टीम द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण :-

मुखबिर खास द्वारा प्राप्त सूचना पर त्वरित कार्यवाही करते हुए पुलिस टीम तत्काल बताये स्थान पर पहुंची। बन्द पेट्रोल पम्प के पास स्कूटी के साथ खड़े अभियुक्त को चोरों ओर से घेर कर एक बारगी दबिश देते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त के कब्जे से 01 स्कूटी यूपी 80 ईई 9766 बरामद हुयी।



पूछताछ का विवरण :-

पुलिस टीम द्वारा पूछताछ करने पर बताया गया कि मेरा नाम हरीश कुमार पुत्र चन्द्रकान्त उर्फ चाडीमल नि० कृष्णा नगर कालौनी जीवनी मंडी थाना छत्ता बताया गया। बरामद स्कूटी के बारे में बताया गया कि यह स्कूटी मैंने परसों अग्रसैन सेवा सदन सिर की मण्डी से चोरी की थी। सख्ती से पूछताछ करने पर बताया गया कि मैंने एक स्कूटी थाना ताजगंज क्षेत्र से चोरी की थी, जो मैंने सरकारी शुलभ शौचालय राजनगर के पीछे झाड़ियों में खड़ी कर दी है। अभियुक्त की निशानदेही पर स्कूटी यूपी 80 डीपी 1633 को बताये स्थान से बरामद कर लिया गया। इस सम्बन्ध में थाना ताजगंज पर मु०अ०सं० 433/21 धारा 379 भादवि पंजीकृत किया गया था।

अभियुक्त से बरामदगी के सम्बन्ध में थाना लोहामण्डी पर मु०अ०सं० 98/21 धारा 41/102 सीआरपीसी व 414 भादवि पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण :-

01. हरीश कुमार पुत्र चन्द्रकान्त उर्फ चाडीमल नि० कृष्णा नगर कालौनी जीवनी मंडी थाना छत्ता जनपद आगरा।

बरामदगी का विवरण :-

01. 02 अदद स्कूटी चोरी की।

अभि० हरीश का आपराधिक इतिहास का विवरण :-

01. मु०अ०सं० 97/21 धारा 379 भादवि थाना लोहामण्डी जनपद आगरा।
02. मु०अ०सं० 433/21 धारा 379 भादवि थाना ताजगंज जनपद आगरा।
03. मु०अ०सं० 98/21 धारा 41/102 सीआरपीसी व 414 भादवि थाना लोहामण्डी।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण :-

01. प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील कुमार यादव थाना लोहामण्डी जनपद आगरा।
02. उ०नि० जितेन्द्र सिंह राजपूत थाना लोहामण्डी जनपद आगरा।
03. हे०का० श्रीपाल थाना लोहामण्डी जनपद आगरा।
04. का० सुनील कुमार थाना लोहामण्डी जनपद आगरा।



मीडिया सेल जनपद आगरा ।

